रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2016/वैशाख 8, 1938
No. 307] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2016/VAISAKHA 8 , 1938

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 466(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रैस परिषद् (संशोधन) नियम, 1988, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 340(अ), तारीख 14 मार्च, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, को सिवाय ऐसी चीजों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए प्रैस परिषद् नियम, 1979 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रैस परिषद् (संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रैस परिषद् नियम, 1979 के नियम 10 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) परिषद् अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए नीचे यथाविनिर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों से फीस का उदग्रहण और संग्रहण कर सकेगी :

(क) 5,00,000 से ऊपर के रेंज में परिचालन वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों और आवधिक पत्र -

(i) प्रत्येक दैनिक से 25,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ii) प्रत्येक अर्धसप्ताहिक या सप्ताहिक से 15,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iii) सभी अन्य प्रवर्गों से 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ख) 2,50,000 से 5,00,000 तक के रेंज में परिचालन वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों और आवधिक पत्र -

(i) प्रत्येक दैनिक से 18,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ii) प्रत्येक अर्धसप्ताहिक या सप्ताहिक से 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iii) प्रत्येक पाक्षिक या मासिक से 7,500/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 4,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ग) 1,50,000 से 2,50,000 तक के रेंज में परिचालन वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों और आवधिक पत्र -

(i) प्रत्येक दैनिक से 12,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ii) प्रत्येक अर्धसप्ताहिक या सप्ताहिक से 8,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iii) प्रत्येक पाक्षिक या मासिक से 6,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 3,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(घ) 75,000 से 1,50,000 तक के रेंज में परिचालन वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों और आवधिक पत्र -

(i) प्रत्येक दैनिक से 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ii) प्रत्येक अर्धसप्ताहिक या सप्ताहिक से 7,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iii) प्रत्येक पाक्षिक या मासिक से 5,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 2,500/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ङ) 25,000 से 75,000 तक के रेंज में परिचालन वाले रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों और आवधिक पत्र -

(i) प्रत्येक दैनिक से 6,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ii) प्रत्येक अर्धसप्ताहिक या सप्ताहिक से 4,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

IndiaCode

(iii) प्रत्येक पाक्षिक या मासिक से 3,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(iv) सभी अन्य प्रवर्गों से 2,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(च) प्रत्येक वर्ग 1 समाचार अभिकरण से 25,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(छ) प्रत्येक वर्ग 2 समाचार अभिकरण से 15,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

(ज) सभी अन्य समाचार अभिकरणों से 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष;

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्रों और आवधिक पत्रों की परिचालन रेंज भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध नवीनतम परिचालन संख्या होगी और समाचार अभिकरणों के वर्गीकरण का मानदंड कार्यशील पत्रकार पारिश्रमिक बोर्ड की रिपोर्ट में यथा उपदर्शित होगा ।

[फा. सं. एम-22011/5/2015-प्रैस]

मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 286(अ) तारीख 8 फरवरी, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 377(अ) तारीख 30 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था ।

IndiaCode

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2016

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), and in supersession of the Press Council (Amendment) Rules, 1988 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting number G.S.R. 340(E), dated the 14th March, 1988, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Press Council Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Press Council (Amendment) Rules, 2016.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Press Council Rules, 1979 in rule 10, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

 "(1) The Council may, for the purpose of performing its functions under the Act, levy and collect fees from registered newspapers and news agencies during each financial year as specified below:

 (a) registered newspapers and periodicals with a circulation range above 5,00,000 –

 (i) Rs. 25,000/- per annum from each daily;

 (ii) Rs. 15,000/- per annum from each bi-weekly or weekly;

 (iii) Rs. 10,000/- per annum from all other categories;

 (b) registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 2,50,000 and upto 5,00,000 -

 (i) Rs. 18,000/- per annum from each daily;

 (ii) Rs. 10,000/- per annum from each bi-weekly or weekly;

 (iii) Rs. 7,500/- per annum from each fortnightly or monthly;

 (iv) Rs. 4,000/- per annum from all other categories;

(c) registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 1,50,000 and upto 2,50,000 –

(i) Rs. 12,000/- per annum from each daily;

(ii) Rs. 8,000/- per annum from each bi-weekly or weekly;

(iii) Rs. 6,000/- per annum from each fortnightly or monthly;

(iv) Rs. 3,000/- per annum from all other categories;

(d) registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 75,000 and upto 1,50,000 **–**

(i) Rs. 10,000/- per annum from each daily;

(ii) Rs. 7,000/- per annum from each bi-weekly or weekly;

(iii) Rs. 5,000/- per annum from each fortnightly or monthly;

(iv) Rs. 2,500/- per annum from all other categories;

(e) registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 25,000 and upto 75,000 –

(i) Rs.6,000/- per annum from each daily;

(ii) Rs.4,000/- per annum from each bi-weekly or weekly;

(iii) Rs.3,000/- per annum from each fortnightly or monthly;

(iv) Rs.2,000/- per annum from all other categories;

(f) Rs. 25,000/- per annum from each Class-I news agency;

(g) Rs. 15,000/- per annum from Class II news agency;

(h) Rs. 10,000/- per annum from all other news agencies.

Explanation: For the purpose of this rule, the circulation range of registered newspapers and periodicals shall be the latest circulation figures as available with the Registrar of Newspapers for India and the criteria for classification of news agencies shall be such as indicated in the Report of the Wage Board for Working Journalists".

[F. No. M-22011/5/2015-Press]

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 286(E) dated the 8th February, 1979 and lastly amended vide notification number G.S.R. 377(E) dated the 30th March, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.